

## प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 24.09.2021

### दो नफर शातिर लूटेरे अभियुक्तगण मय लूट की दो अदद चैन व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में सुधीर कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 616/21 धारा 392/411/420 भादवि व मु0अ0सं0 592/21 धारा 392 भादवि व तरमीम धारा 411 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. अभिषेक सिंह पुत्र स्व0 राम सिंगार सिंह निवासी बिछिया हनुमान मंदिर के सामने वाली गली थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर 2. राहुल कुमार गौतम पुत्र विनोद कुमार निवासी बिछिया हनुमान मंदिर के पास थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के कब्जे से एक अदद लूट की पीली धातु की चैन संबंधित मु0अ0सं0 616/21 धारा 392/411/420 भादवि व अभियुक्तगण के निशादेही पर एक अदद लूट पीली धातु की चैन संबंधित मु0अ0सं0 592/21 धारा 392/411 भादवि व घटना में प्रयुक्त एक अदद प्लसर मोटर साइकिल बरामद करते हुए दिनांक 23.09.2021 को मोहदीपुर चौराहे से आगे बिछिया रोड पर गिरफ्तार किया गया व अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है ।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अभिषेक सिंह पुत्र स्व0 राम सिंगार सिंह निवासी बिछिया हनुमान मंदिर के सामने वाली गली थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. राहुल कुमार गौतम पुत्र विनोद कुमार निवासी बिछिया हनुमान मंदिर के पास थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

#### अभियोग जिसमे गिरफ्तारी हुयी-

- मु0अ0सं0 616/21 धारा 392/411/420 भादवि

#### अपराधिक इतिहास-

1. राहुल कुमार गौतम पुत्र विनोद कुमार निवासी बिछिया हनुमान मंदिर के पास थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर मु0अ0सं0 592/21 धारा 392/411 भादवि

#### बरामदगी:-

दो अदद लूट की पीली धातु की चैन व घटना में प्रयुक्त प्लसर मोटर साइकिल वाहन संख्या यू0पी0 53 सी0एल0 2513

गिरफ्तारी का स्थान / समय -

- मोहदीपुर चौराहे से आगे बिछिया रोड पर / दिनांक 23.09.2021

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० रविन्द्रनाथ चौबे
3. का० बृजेश सिंह
4. का० अभिमन्यू सिंह